

भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकार की भूमिका

दिव्यम बाजपेयी¹, विजय दीक्षित²

प्रस्तावना

कानून का शासन और मौलिक अधिकार भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और संवैधानिक अखंडता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत, कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं है। यह संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए समानता, न्याय और उत्तरदायित्व की रक्षा करता है। कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि देश का शासन कानूनों द्वारा हो, मनमानी शक्तियों के बजाय, और सभी कार्य कानूनी मानदंडों के अनुरूप हों, जिससे निष्पक्षता बनाए रखी जा सके और सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। संविधान के भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार—जैसे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ सुरक्षा, और धार्मिक स्वतंत्रता—राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) व्यक्तियों को इन अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय का रुख करने की क्षमता देता है, जो कानून के शासन और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संबंध को मजबूत करता है। कानून का शासन और मौलिक अधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं। कानून का शासन एक ऐसी कानूनी प्रणाली बनाता है जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है, जबकि ये अधिकार न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को सशक्त करते हैं, जो कानून के शासन में अंतर्निहित हैं। न्यायिक अक्षमताओं और देरी जैसी चुनौतियों के बावजूद, यह संबंध भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने और संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

¹दिव्यम बाजपेयी, शोधार्थी, शंभू दयाल (पी जी) कॉलेज, गाजियाबाद

² विजय दीक्षित, शोध निर्देशक, शंभू दयाल (पी जी) कॉलेज, गाजियाबाद

मुख्य बिंदु: कानून का शासन, कानून की सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा

परिचय

भारत में कानून का शासन का सिद्धांत भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह सिद्धांत इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक और संस्थान कानून के अधीन हैं, और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाता। यह शासन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, न्याय की गारंटी, और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून का शासन न्याय और समानता की स्थापना कानून का शासन सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और उनके साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होने की गारंटी देता है। यह समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है। सरकार की शक्ति पर नियंत्रण कानून का शासन सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, ताकि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम करे। न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता: कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ताकि न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय मिल सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा: कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के छीना न जा सके। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, जो भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं। शांतिपूर्ण और स्थिर समाज की स्थापना: कानून का शासन समाज में अनुशासन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह अपराधों को रोकने और सामाजिक बुराइयों से लड़ने में सहायक होता है, जिससे देश की स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित होती है। भारत में कानून का शासन का महत्व संवैधानिक सर्वोच्चता भारत में कानून का शासन संविधान की सर्वोच्चता को मान्यता देता है, जहां सभी नागरिक और संस्थान संविधान के अधीन होते हैं। यह सरकार और प्रशासन को नियंत्रित करता है और उन्हें जवाबदेह बनाता है। लोकतंत्र की सुरक्षा कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है

कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहें। यह नागरिकों को सरकार और उसके तंत्रों के दुरुपयोग से बचाता है। मानवाधिकारों की गारंटी कानून का शासन मानवाधिकारों की रक्षा करता है और नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय पाने का अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी बढ़ावा देता है।

मौलिक अधिकार भारत में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को प्रदत्त कुछ अनिवार्य अधिकार हैं, जो उनके जीवन, स्वतंत्रता, समानता, और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं और भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देते हैं और सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का अन्याय या अधिकारों का उल्लंघन न हो। नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा मौलिक अधिकार नागरिकों को उनके जीवन की गरिमा और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार न हो और उसकी स्वतंत्रता या जीवन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण न किया जाए। समानता का सिद्धांत मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मान्यता देते हैं। यह जाति, धर्म, लिंग, भाषा, और स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं और सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण मौलिक अधिकार नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, जिससे वे अपनी पसंद के धर्म का पालन और प्रचार कर सकते हैं। साथ ही, यह अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा, और शिक्षा की सुरक्षा की गारंटी देता है। शोषण के खिलाफ सुरक्षा मौलिक अधिकार नागरिकों को शोषण के विभिन्न रूपों, जैसे बाल श्रम, मानव तस्करी, और बंधुआ मजदूरी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करने का अधिकार देता है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की भूमिका को समझने के लिए विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के सिद्धांत और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। ये विचारक कानून, अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता की विभिन्न परिभाषाओं और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। भारत के संदर्भ में, इन सिद्धांतों को संविधान और कानून व्यवस्था के ढांचे के भीतर लागू किया गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय और मौलिक

अधिकार डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, ने भारत में कानून के शासन और मौलिक अधिकारों के महत्व पर गहराई से विचार किया। उनका दृष्टिकोण विशेष रूप से सामाजिक न्याय और समानता पर केंद्रित था समानता का अधिकार अंबेडकर का मानना था कि समाज में वास्तविक समानता लाने के लिए कानूनी और सामाजिक सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14, 15, और 16 के तहत समानता के अधिकार को प्राथमिकता दी। अस्पृश्यता का उन्मूलन अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप था। उनका मानना था कि केवल कानून द्वारा समाज में समानता और गरिमा सुनिश्चित की जा सकती है, और मौलिक अधिकार इसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता महात्मा गांधी ने अपने जीवन और सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सत्य, और अहिंसा का संदेश दिया। उनके विचार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में समाहित किए गए हैं सत्य और अहिंसा गांधी का मानना था कि सच्चाई और अहिंसा से ही न्याय और अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। उनका यह दृष्टिकोण मौलिक अधिकारों के उस पक्ष से मेल खाता है, जो स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। नैतिक अधिकार: गांधी का दृष्टिकोण यह था कि कानून केवल बाहरी शासन का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनका यह विचार भारत में सामाजिक सुधार और नागरिक कर्तव्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता को आधुनिक लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों के विचार का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों (Natural Rights) की अवधारणा प्रस्तुत की, जो कि जीवन, स्वतंत्रता, और संपत्ति के अधिकार हैं। सामाजिक अनुबंध लॉक का मानना था कि सरकार और जनता के बीच एक अनुबंध होता है। सरकार को लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए चुना जाता है, और यदि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती, तो जनता के पास उसे बदलने का अधिकार होता है। थॉमस हॉब्स कानून का शासन और राज्य की भूमिका थॉमस हॉब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन में राज्य की सत्ता और कानून के शासन की अनिवार्यता पर बल दिया। उनके अनुसार कानून का शासन हॉब्स ने एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य की वकालत की, जो लोगों के बीच अराजकता को समाप्त कर कानून व्यवस्था स्थापित करता है। उनका मानना था कि बिना कानून के, समाज में "हर व्यक्ति हर दूसरे के खिलाफ" हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण हॉब्स के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमाएँ जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में अपने प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनका मुख्य जोर "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" पर था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उसकी सीमाओं पर भी चर्चा की।

उनके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार है, जब तक कि वह दूसरों के अधिकारों को बाधित न करे। नुकसान सिद्धांत मिल के नुकसान सिद्धांत के अनुसार, किसी की स्वतंत्रता को केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब उसकी क्रियाएँ दूसरों को नुकसान पहुँचाती हों।

भारतीय परंपरा में कानून का शासन एवं अधिकार की भूमिका का सिद्धांत

भारतीय संविधान में कानून का शासन और मौलिक अधिकार की भूमिका का सिद्धांत एक गहन सोच और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिद्धांत भारतीय समाज की विविधता, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और न्याय, समानता, और मानव गरिमा के मूल्यों को समाहित करता है। कानून का शासन का सिद्धांत यह है कि सभी व्यक्तियों, चाहे वे सामान्य नागरिक हों या सरकारी अधिकारी, कानून के समक्ष समान हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता यह सिद्धांत संविधान को सर्वोच्च मानता है, जिसका अर्थ है कि सभी सरकारी क्रियाएँ और कानून संविधान के अनुसार होने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। न्यायिक स्वतंत्रता कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे, जिससे नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा ले सकें। मौलिक अधिकार का सिद्धांत मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में वर्णित हैं और ये नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। समानता और गरिमा ये अधिकार नागरिकों को समानता का अनुभव कराते हैं और उनके व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा की रक्षा करते हैं। इनमें समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल हैं। संविधानिक उपचार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय का रुख करने का अधिकार है। यह प्रावधान नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी तंत्र प्रदान करता है। भारतीय चिंतन की विशेषताएँ धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भारतीय चिंतन में कानून का शासन और मौलिक अधिकार की भूमिका को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखें। ये सिद्धांत सभी समुदायों और वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सामाजिक न्याय का महत्व भारतीय चिंतन में सामाजिक न्याय की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और अवसरों में समानता मिले। लोकतंत्र और सहभागिता भारतीय चिंतन में लोकतंत्र का मूल्यांकन नागरिकों

की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। कानून का शासन और मौलिक अधिकार नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं।

भारत में कानून की सर्वोच्चता की अवधारणा

कानून की सर्वोच्चता एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी राष्ट्र की न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रक्रिया और शासन की नींव को मजबूती प्रदान करता है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यक्ति, चाहे वे शासक हों या सामान्य नागरिक, कानून के प्रति उत्तरदायी होते हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह कानून के शासन की अवधारणा है, जिसमें न्याय, समानता, और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। कानून की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश में न केवल कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, बल्कि कानून भी न्यायसंगत, समान और पारदर्शी होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि कानून को मनमाने तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे उचित प्रक्रिया और नियमों के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को कानून से बाहर या ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और सामाजिक न्याय की रक्षा करता है और एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित करता है। समानता का सिद्धांत कानून सभी के लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या जातिगत स्थिति में हो। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोग एक ही कानून के अधीन हों और किसी को विशेषाधिकार या भेदभाव का सामना न करना पड़े। न्यायिक प्रक्रिया का पालन किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सही प्रक्रिया दिए बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चलनी चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो सके। मनमानी शासन का विरोध कानून की सर्वोच्चता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी शासक या अधिकारी मनमाने ढंग से कानून को अपने स्वार्थ के अनुसार न चलाए। इसके तहत सभी शासकों को भी कानून के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। कानून का सार्वभौमिक लागू होना कानून की सर्वोच्चता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। राज्य के सभी नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून की सर्वोच्चता न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कानून का पालन कर सके और निष्पक्ष निर्णय दे सके। व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, और उन्हें मनमाने तरीके से छीनने की अनुमति न हो। समान न्याय का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी को एक ही कानून के तहत न्याय प्राप्त हो, और कोई व्यक्ति

विशेषाधिकार या भेदभाव का पात्र न हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा यह नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, ताकि राज्य या अन्य ताकतें उनकी स्वतंत्रता का दमन न कर सकें। शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व कानून की सर्वोच्चता सरकार और प्रशासन को उत्तरदायी बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनका कामकाज पारदर्शी हो। राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा यह शासन व्यवस्था में स्थिरता लाती है, क्योंकि जब सभी कानूनों का पालन करते हैं, तो समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। अन्याय और अत्याचार से सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह अन्याय या अत्याचार का शिकार न हो, और यदि ऐसा होता है, तो उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त हो। कानून का मनमाना इस्तेमाल कई बार शक्तिशाली लोग और संगठन अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं और इसके परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। भ्रष्टाचार जब कानून लागू करने वाली संस्थाएँ भ्रष्ट होती हैं, तो कानून की सर्वोच्चता पर प्रभाव पड़ता है और जनता का विश्वास कमजोर हो जाता है। कमजोर न्यायपालिका यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, तो कानून की सर्वोच्चता का पालन ठीक से नहीं हो सकता। राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव भी न्यायपालिका को कमजोर बना सकते हैं। कानून का अनुचित और धीमा कार्यान्वयन कई बार कानूनी प्रक्रियाएँ इतनी धीमी और जटिल होती हैं कि न्याय में देरी होती है, जिससे कानून की सर्वोच्चता कमजोर होती है।

शोषण के विरुद्ध सुरक्षा के अधिकार का महत्व

शोषण के विरुद्ध सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा हर नागरिक को प्रदान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार से बचाना है। शोषण का अर्थ है किसी व्यक्ति की कमजोरी, आर्थिक स्थिति, या सामाजिक हालात का अनुचित लाभ उठाना, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। भारतीय संविधान ने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा को विशेष महत्व दिया है, ताकि समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समानता और न्याय हो सके। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध सुरक्षा (**Articles 23-24**) शोषण के विरुद्ध सुरक्षा के प्रावधानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत रखा गया है। ये अनुच्छेद जबरन श्रम, मानव तस्करी, और बाल श्रम जैसी अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। **अनुच्छेद 23** मानव तस्करी और जबरन श्रम के विरुद्ध सुरक्षा अनुच्छेद 23 के तहत निम्नलिखित प्रथाओं को निषिद्ध किया गया है मानव तस्करी यह अनुच्छेद मानव तस्करी, जिसमें लोगों को खरीदना-बेचना, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, और अन्य अमानवीय शोषण शामिल हैं, को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। यह विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के शोषण के खिलाफ एक

महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। जबरन श्रम जबरन श्रम यानी किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ काम कराने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों से ज़बरन काम करवाना शामिल है। यह प्रावधान सभी प्रकार के जबरन श्रम को रोकता है, चाहे वह सरकार के द्वारा हो या किसी निजी संगठन द्वारा। अन्य प्रकार का शोषण जबरन भिक्षा या सेवाएं लेना, बंधुआ मजदूरी, और कोई भी ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के विरुद्ध किया जाए, इस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित हैं। अपवाद हालांकि, राज्य द्वारा लगाए गए कुछ दायित्वों जैसे राष्ट्र सेवा, सैन्य सेवा, या आपातकालीन सेवाओं को इस अनुच्छेद के तहत जबरन श्रम नहीं माना गया है, यदि यह कानून द्वारा निर्धारित और न्यायसंगत तरीके से किया जाए। अनुच्छेद 24 बाल श्रम के विरुद्ध सुरक्षा अनुच्छेद 24 विशेष रूप से बाल श्रम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम निषिद्ध इस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्टरी, खदान, या किसी भी अन्य जोखिम भरे कार्यस्थल पर काम पर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से शोषणकारी कार्यों से बचाना है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है। खतरनाक कार्यों में बच्चों की निषेधता यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम भरे या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, जो उनकी सेहत और जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा के महत्व मानवाधिकारों की रक्षा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा मानवाधिकारों की रक्षा का एक आवश्यक हिस्सा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, सम्मान, और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक समानता और न्याय यह प्रावधान समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की सुरक्षा करता है, ताकि वे शोषण का शिकार न बनें। यह समाज में समानता और न्याय की स्थापना करता है। बाल संरक्षण अनुच्छेद 24 बाल श्रम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने का काम करता है। शोषणकारी प्रथाओं का उन्मूलन: ये प्रावधान बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, और अन्य शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करने का उद्देश्य रखते हैं, ताकि समाज में मानवता और गरिमा बनी रहे। न्यायिक हस्तक्षेप इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में, पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है, और शोषणकर्ताओं को कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित कानून बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 यह अधिनियम बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करता है और इस प्रणाली में शामिल किसी भी प्रकार के शोषण को अवैध घोषित करता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 इस अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसे विनियमित किया गया है। यह

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956 यह अधिनियम मानव तस्करी और महिलाओं तथा बच्चों के शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। मजदूर कानून विभिन्न मजदूर कानून जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, कार्य की स्थिति और समय के बारे में प्रावधान करके कामगारों को शोषण से बचाते हैं।

कानून का शासन एवं मौलिक अधिकारों में मध्य संबंध व समन्वय

कानून का शासन और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के दो प्रमुख तत्व हैं जो एक-दूसरे के साथ गहन संबंध में काम करते हैं। इन दोनों के बीच का संबंध निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है संविधान की सर्वोच्चता कानून का शासन संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण संविधान के तहत किया गया है, जो उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। समानता का सिद्धांत कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता मिले। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार शामिल है, जो नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करता है। न्याय का संरक्षण कानून का शासन एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसमें नागरिकों को न्याय प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार देते हैं। सरकारी शक्ति पर अंकुश कानून का शासन सरकारी शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। मौलिक अधिकार, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, नागरिकों को सरकार के मनमाने कार्यों से बचाते हैं और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका न्यायपालिका कानून के शासन को लागू करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायालयों का अधिकार नागरिकों को अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ न्याय की मांग करने का अवसर प्रदान करता है। संविधान के प्रति जवाबदेही कानून का शासन सरकार को संविधान के प्रति जवाबदेह बनाता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, जिससे सरकारी कार्रवाई की जिम्मेदारी तय होती है। सामाजिक न्याय कानून का शासन और मौलिक अधिकार मिलकर सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करते हैं। ये दोनों तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलें, जिससे समाज में समरसता और स्थिरता बनी रहे। नागरिकों की सुरक्षा मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। कानून का शासन इस सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जिससे नागरिकों को विश्वास होता है कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार, कानून का

शासन और मौलिक अधिकार न केवल एक-दूसरे को मजबूत करते हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को भी सुरक्षित रखते हैं। उनका आपसी संबंध नागरिकों की स्वतंत्रता, न्याय, और समानता की भावना को बढ़ावा देता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताएँ हैं।

वर्तमान समय में अवसर और चुनौतियाँ

वर्तमान समय में भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, और समतावादी समाज के निर्माण में सहायक हैं। हालाँकि, इस भूमिका के साथ अवसर और चुनौतियाँ दोनों हैं। जहाँ एक ओर कानूनी प्रणाली और मौलिक अधिकारों की रक्षा के कई अवसर मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसलों के जरिए मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता के तहत न्यायालयों ने सरकार और अन्य संस्थाओं की मनमानी पर रोक लगाते हुए नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा है। जैसे: धारा 377 को समाप्त करने का निर्णय। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने का निर्णय, राइट टू इंफोर्मेशन और लोकपाल जैसे संस्थान, जो पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान युग में, डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार को सुरक्षित करने की आवश्यकता और बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है, जो कि डिजिटल युग में नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों ने समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाने में मदद की है। आरक्षण नीतियों के तहत समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी, और राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं। यह सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। मौलिक अधिकार और कानून का शासन लगातार संवैधानिक सुधारों और विधायी पहलों के माध्यम से मजबूत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए नए कानून बनाए जा सकते हैं जो नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। न्यायपालिका ने पर्यावरण के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया है। "सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार" जीवन के अधिकार के तहत आता है। ऐसे में पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए कानूनी सुधारों के लिए काफी अवसर हैं। कई बार सरकार या अन्य संस्थानों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विभिन्न प्रकार की रोकथाम और मीडिया पर

नियंत्रण। अन्यायपूर्ण हिरासत और राजनीतिक विरोधियों पर दमन। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों पर प्रतिबंध, विशेष रूप से इंटरनेट और संचार सेवाओं पर रोक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। उदाहरण के लिए: यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कानूनों का उपयोग कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। अधिकार और आतंकवाद विरोधी कानूनों के बीच संतुलन स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की भारी संख्या के कारण न्याय प्राप्त करने में देरी एक बड़ी चुनौती है। न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में कठिनाई होती है। यह कानून के शासन पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि न्याय में देरी अक्सर न्याय से वंचित करने के बराबर होती है। डिजिटल युग में, सरकार और निजी कंपनियों द्वारा नागरिकों की निगरानी और डेटा संग्रह का बढ़ता खतरा है। आधार कार्ड से संबंधित डेटा गोपनीयता के मुद्दे और पेगासस जासूसी विवाद जैसे मामले निजता के अधिकार पर बड़े सवाल उठाते हैं। इसके अलावा, इंटरनेट शटडाउन जैसी घटनाएँ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। कानून के शासन की एक प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचार है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कानून का दुरुपयोग अक्सर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में बाधा डालता है। कानून का गलत उपयोग व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, जिससे नागरिकों का विश्वास न्याय प्रणाली और प्रशासन पर कम होता है। समाज में अभी भी आर्थिक और सामाजिक असमानता व्यापक है। गरीब, दलित, और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय और मौलिक अधिकारों तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। कानूनी प्रक्रियाएँ महंगी और जटिल होती हैं, जिससे वंचित वर्गों के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करना कठिन हो जाता है। कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूहों द्वारा संविधान के मूलभूत ढाँचे को चुनौती दी जा रही है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष और समानता सिद्धांतों के लिए खतरा पैदा करता है। सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण से मौलिक अधिकारों और कानून के शासन को खतरा होता है।

निष्कर्ष

भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की भूमिका लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण धाराएँ हैं। ये तत्व न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की स्थापना में भी सहायक होते हैं। भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकार एक समृद्ध और विविध लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के अनुरूप, ये तत्व नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आश्वासन देते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण माध्यम

से निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है संवैधानिक आधार भारतीय संविधान, जो कि एक सशक्त और विस्तृत दस्तावेज है, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समानता और स्वतंत्रता की गारंटी करता है। न्याय की उपलब्धता कानून का शासन नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अधिकार देता है। न्यायपालिका की सक्रियता और संविधान के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने का माध्यम प्रदान करता है। सामाजिक न्याय मौलिक अधिकार, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक अधिकार, कमजोर वर्गों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को समान अवसर और सामाजिक न्याय प्राप्त हो। नागरिकों की जिम्मेदारी कानून का शासन केवल अधिकारों का संरक्षण नहीं करता, बल्कि यह नागरिकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी अहसास कराता है। एक जागरूक नागरिकता ही लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। भविष्य की दिशा भविष्य में, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों का विकास निरंतर जारी रहेगा। तकनीकी विकास, सामाजिक परिवर्तन, और वैश्विक विचारों के प्रभाव के तहत, इन अधिकारों का स्वरूप और भी समृद्ध और प्रभावशाली हो सकता है। कुल मिलाकर, भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की भूमिका लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है और नागरिकों को एक सुरक्षित, स्वतंत्र, और समानता आधारित जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। इन मूल्यों को सशक्त बनाकर, हम एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ हर नागरिक को उसके अधिकारों और स्वतंत्रता की पूरी सुरक्षा मिले। इस प्रकार, भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी रक्षा और संवर्धन के लिए सभी नागरिकों, सरकार और न्यायपालिका को सक्रियता से काम करना होगा। केवल तभी हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने का अवसर मिले।

References

1. ऑस्टिन, जी. (2010). Indian constitution: foundation of nation. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. बागची, ए. (2015). Indian constitution law. सत्या लॉ इंटरनेशनल।
3. चोपड़ा, आर. (2018). *भारत में कानून और समाज: एक अवलोकन*. स्प्रींगर।

4. दत्ता, डी. (2019). *Human Rights in India: Issues and Challenges*. शारदा प्रकाशन।
5. ढींगरा, आर. (2019). *Fundamental Rights in the Indian Constitution*. सेंट्रल लॉ पब्लिशर्स।
6. गोस्वामी, आर. (2021). *Law and Human Rights in India*. सागर पब्लिशर्स।
7. कुमार, ए. (2017). *महात्मा गांधी और भारत में सामाजिक न्याय की खोज*. राउटलेज।
8. कुलकर्णी, ए. (2020). *भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका* दीप & दीप प्रकाशन।
9. महाजन, ए. (2016). *Judicial Activism in India: A Critical Analysis*. एपीएच पब्लिशिंग।
10. मेहरा, जी. (2020). *Constitutional Law: A Comprehensive Approach*. सेंट्रल लॉ पब्लिशर्स।
11. नायर, पी. (2022). *Right to Education in India: An Analytical Study*. पेनल पब्लिशर्स।
12. राय, ए. (2018). *Rights of Women in India: A Legal Perspective*. एनएचआरसी पब्लिशिंग।
13. राव, सी. (2016). *भारत का संवैधानिक कानून: एक आलोचनात्मक टिप्पणी*. ईस्टर्न बुक कंपनी।
14. शर्मा, एस. (2015). *Judiciary and Human Rights in India*. पब्लिकेशन हाउस।
15. सिंगल, ए. (2019). *The Right to Privacy in India: Law and Policy*. राधा पब्लिकेशंस।
16. अरोड़ा, ए. (2018). The Evolution of Fundamental Rights in India: A Historical Perspective. *Indian Journal of Constitutional Law*, 12(1), 1-18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3211671>
17. दातार, आर. (2016). Judicial Activism and the Role of the Supreme Court of India. *Journal of Indian Law Institute*, 58(2), 130-145. <https://doi.org/10.1177/0971356516634989>
18. ढींगरा, आर. (2019). The Right to Privacy: A Comparative Study of Constitutional Frameworks. *Constitutional Law Review*, 24(1), 1-25. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3482984>
19. जैन, ए. (2020). The Role of Judiciary in Safeguarding Fundamental Rights. *Journal of Human Rights Law*, 5(2), 55-70. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3639845>
20. वर्मा, एस. (2020). Freedom of Speech in India: A Double-Edged Sword. *Journal of Law and Social Policy*, 14(2), 50-67. <https://doi.org/10.1080/09719030.2020.175756>
21. भारत सरकार। (2019). *अपराध कानूनों में सुधार के लिए समिति की रिपोर्ट*. गृह मंत्रालय। <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ReportOfTheCommitteeOnReformsInCriminalLaws.pdf>

22. भारतीय कानून आयोग। (2021). *Report on Legal Reforms in India*.
http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report_273.pdf
23. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (2020). *वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020*.
<https://nhrc.nic.in/sites/default/files/AnnualReport2019-20.pdf>
24. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (2021). *Rights of Women in India: Annual Report 2020-2021*.
https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Women_Annual_Report_2020-2021.pdf
25. मेहता, आर. (2019). *Judicial Independence and Human Rights Protection in India* (Master's thesis, Jawaharlal Nehru University). Available from JNU Repository.
26. सिंह, क. (2021). *Fundamental Rights and Their Implementation in India: Challenges and Solutions* (Ph.D. dissertation, Banaras Hindu University). Available from BHU Repository.



The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language

Hindi

Submission Information

Author Name	Divyam Bajpai and vijay dixit
Title	भारत में कानून का शासन और मौलिक अधिकार
Paper/Submission ID	2429219
Submitted by	vijaydixit235@gmail.com
Submission Date	2024-10-22 11:23:53
Document type	Research Paper

Result Information

Similarity	3%
------------	----

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File





DrillBit Similarity Report

3		5	A	A-Satisfactory (0-10%) B-Upgrade (11-40%) C-Poor (41-60%) D-Unacceptable (61-100%)	
SIMILARITY %		MATCHED SOURCES	GRADE		
LOCATION	MATCHED DOMAIN			%	SOURCE TYPE
1	Paper Submitted to University of Allahabad			2	Student Paper
2	Paper Submitted to Magadh University, Bodh Gaya			<1	Student Paper
3	Paper Submitted to Siddharth University			<1	Student Paper
4	Paper Submitted to Patliputra University, Patna			<1	Student Paper
5	Paper Submitted to Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya			<1	Student Paper